18.12.24 | पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादी ~~प्रार्थी~~ एवं ~~प्रार्थी~~ वादीगण अपने ~~प्रार्थना-पत्र~~ वाद को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर <u>खारिज</u> किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

18/12/24

सहायक कलेक्टर
(SDO), बाड़मे